

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

Dated: 26.9.2023

NOTIFICATION

No. F. 8(9)/2011/DAM/MR/954-968. – In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws made and adopted by the Agricultural Produce Marketing Committee, Najafgarh, Delhi and confirmed by the Director are hereby notified as under:

“BYE-LAWS”


In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the Agricultural Produce Marketing Committee, Najafgarh hereby makes the following Bye-Laws further to amend the Najafgarh Marketing Committee, Bye-Laws, 2004 as follows, namely :-

Short title and Commencement. - (i) These Bye-Laws may be called the Najafgarh Marketing Committee (Amendment) Bye-Laws, 2023

(ii) They shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 53. - In the Najafgarh Marketing Committee, Bye-Laws, 2004, in Bye-Law No. 53, rate of market service fee and incidental charges to be paid by the seller and buyer shall be as under:-

S. No.	Particulars of Market Charges	Amount payable in Rs. Per bag (50kg)
‘A’ – Market service charge payable by the seller:-		
1.	Unloading (all commodities)	Rs. 2.50 (Two Rupees fifty paise) Note – These rates shall not enforce on those farmers who unload their commodity by themselves i.e. by their hand or any mechanism.
2.	Jharai	Rs. 2.75 (Two Rupees seventy five paise)
3 (i)	Tulai, Tulai and storage in godown (unsold commodities)	Rs. 3.25 (Three Rupees twenty five paise)
3 (ii)	Unloading, Jharai, Tulai, stitching and storage in godown (unsold commodities)	Rs. 8.50 (Eight Rupees fifty paise)
‘B’ – Market service charge payable by the buyer:-		
1.	Loading	Rs. 3.50 (Three Rupees fifty paise)
2.	Dhulai (Cartage charges in rehari etc. from one point to another point in the entire principal yard)	Rs. 8.00 (Eight Rupees)
3.	Making Dara i.e. mixing of different varieties of produce refilling into bags, weighing, stitching and loading or stocking	Rs. 12.00 (Twelve Rupees)
4.	Loading (from shop)	Rs. 3.50 (Three Rupees fifty paise)
5.	Marka Charges	Rs. 0.50 (Fifty paise)
6.	Stitching	Rs. 1.00 (One Rupee)



(Neha Bansal), IAS
Special Secretary (AM)

No. F. 8 (9)/2011/DAM/MR/954-968

Dated: 26-9-2023

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi
4. The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
6. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
7. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
8. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
9. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
10. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
11. The Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi, Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi & Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi.
12. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
13. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.


(NEHA BANSAL), IAS
SPECIAL SECRETARY (AM)

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)
 कृषि विपणन निदेशालय
 (विकास विभाग)
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक: 26-9-2023

अधिसूचना

सं0फा0 8 (9)/2011/डी.ए.एम./एम.आर./954-968 - दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़, दिल्ली द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (1), (2) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़, दिल्ली, नजफगढ़ विपणन समिति उपविधियाँ, 2004 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
- (1) ये उपविधियाँ नजफगढ़ विपणन समिति (संशोधन) उपविधियाँ, 2023 कही जायें ।
 - (2) ये तत्काल लागू होंगी ।

उपविधि संख्या - 53 का संशोधन- नजफगढ़ विपणन समिति उपविधियाँ, 2004 की उपविधि संख्या 53 में विक्रेता एवं क्रेता द्वारा देय बाजार सेवा शुल्क एवं प्रासंगिक सेवा शुल्क की दर निम्नलिखित होंगी :-

क्र.सं.	बाजार सेवा शुल्क का विवरण	देय राशि रुपये में प्रति बेग (50 कि.ग्रा)
'क' - विक्रेता द्वारा देय बाजार सेवा शुल्क:-		
1.	उतराई (सभी उपज)	रु0 2.50 (दो रुपये पचास पैसे) नोट - ये दरें उन कृषकों पर लागू नहीं होंगी जो अपने माल को स्वयं अर्थात् अपने हाथ से या किसी तंत्र द्वारा उतारते हैं।
2.	झराई	रु0 2.75 (दो रुपये पचहतर पैसे)
3. (i)	तुलाई, तुलाई और गोदाम में रखना (बिना बिकी उपज)	रु0 3.25 (तीन रुपये पच्चीस पैसे)
3. (ii)	अनलॉडिंग, झराई, तुलाई, सिलाई और गोदाम में भंडारण (बिना बिकी उपज)	रु0 8.50 (आठ रुपये पचास पैसे)
'ख' - क्रेता द्वारा देय बाजार सेवा शुल्क:-		
1.	लदान	रु0 3.50 (तीन रुपये पचास पैसे)
2.	दुलाई (पूरे मुख्य मण्डी परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेहड़ी आदि का दुलाई प्रभार)	रु0 8.00 (आठ रुपये)
3.	दड़ा बनाना अर्थात् अलग किस्म के उत्पादों को मिलाना, पुनः बेगों में भरना, वजन करना, सिलना, लदान करना या संग्रहण	रु0 12.00 (बारह रुपये)
4.	लदान (दुकान से)	रु0 3.50 (तीन रुपये पचास पैसे)
5.	मार्का चार्ज	रु0 0.50 (पचास पैसे)
6.	सिलाई	रु0 1.00 (एक रुपया)


(नेहा बंसल), सी०प्र०से०
 विशेष सचिव (कृ०वि०)

सं. एफ 8 (9)/2011/डी.ए.एम./एम.आर./954-968

दिनांक : 26-9-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 5 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 11 सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति, एमएनआई, आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली, पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 12 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।


(नेहा बंसल), भा०प्र०से०
विशेष सचिव (कृ०वि०)